

कार्यालय तहसीलदार (भू0अभि0) सपोटरा जिला करौली (राज0)

क्रमांक/भू0अभि0/2023/ 7/6

दिनांक - 13/03/23

श्रीमान जिला कलक्टर (राजस्व)
करौली

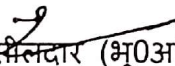
विषय :-करणपुर से मण्डरायल रोड मे आ रही वन भूमि हेतू समतुल्य गैर
वन भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान जी का पत्रांक/4379 दिनांक 13.12.2022

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की पालना मे करणपुर मण्डरायल आँड
चन्देलीपुरा रोड मे आ रही वन भूमि को सैट अपार्ट कर वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध
करवाने हेतू प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर दो प्रति मे श्रीमान जी की सेवा मे अग्रिम कार्यवाही हेतू
सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार


तहसीलदार (भू0अभि0)
तहसील सपोटरा

लोका में,

श्रीमान सहस्रीलदा रानाव
तहसील लोपोटरा

विषय - Diversion 8.5635 hectare forest land for construction of
w-dwng strengthening on Karanpur Mandrail and Chandolspura
Road (MDR-3A) from Karanpur MDR-3A KM stone NO. 34.00
Tehsil Mandrail District Karauli (Rajasthan) FP/RS/Road/148609/
२०२१ हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने बाबत

पुनः - श्रीमान जी के पत्र क्रमांक /अ मसि/२०२३/५४४ दि. १६/२/२३

महोदय जी,

अभ्युक्त विषय-सम्बन्धित विवेदन है कि उक्त आरक्षणीक पत्र के अनुसार
के राजस्व ग्राम करई, टोडा, लिमरा, करेड, अयोरा की ८.५६३५ हे०
भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु मैदानी समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने
हेतु निर्देशित किया गया है। जिसकी पालना में राजस्व ग्राम करेड
के ख. नं. $\frac{1276}{121}$ में से ८.५६३५ हे० समतुल्य गैर वन भूमि के ~~उपलब्ध~~
तीन-तीन अंशों में प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान जी की सेवा काग्रेस
कार्यवाही हेतु उचित है।



मायस सहस्रीलदार
अप सहस्रील करणम
जिला-काग्रेसी